बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

—: आदेश :—

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6357 दिनांक 28.11.2018 द्वारा श्री राम लाल राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जमुई के विरूद्ध मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत क्रियान्वित योजना का मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अपूर्ण योजना का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराने संबंधी विभागीय आदेशों की अवहेलना के आरोप में आरोप पत्र गठित कर ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उक्त के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 832 दिनांक 27.03.2019 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कई बार स्मारित किये जाने के उपरान्त श्री राम के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 14.05.2019 एवं दिनांक 17.09.2022 में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जमुई में कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापन अवधि दिनांक 31.03.2017 से दिनांक 05.07.2018 तक मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, संसद योजना एवं अन्य योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन एवं अपूर्ण योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ससमय कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया एवं विभाग को भी उपलब्ध कराया गया। इसके अलावे श्री राम द्वारा अपने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए सेवान्त लाभ आदि के भुगतान का अनुरोध किया गया।

श्री राम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1049 अनु0 दिनांक 19.04.2024 द्वारा योजना एवं विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। तदालोक में योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 2705 दिनांक 13.05.2024 से प्राप्त मंतव्य में उल्लेख किया गया कि श्री राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रशासनिक प्रकृति के हैं, जिसमें वित्तीय अनियमितता का मामला सन्निहित नहीं है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर से ही निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम लाल राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप में वित्तीय मामला सन्निहित नहीं होने एवं इनकी सेवानिवृति (31.01.2021) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com, & secy-reo-bih@nic.in en(d) 3

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राम लाल राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रश्नगत आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/09/24

(डा० फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–2/अ0प्र0–1–441/2018 2551 /पटना, दिनांकः– 24.9.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

24/09/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–2/अ0प्र0–1–441/2018 2551 /पटना, दिनांकः– 24.9.24

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री राम लाल राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

24/09/24
संयुक्त सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com, & secy-reo-bih@nic.in en(d) 4